Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

156-2015/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2015 (BHADRA 10, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st September, 2015

No.10-HLA of 2015/72/13694.— The Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 10- HLA of 2015.

THE HARYANA REGISTRATION AND REGULATION OF SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Act, 2015.

Amendment of section 2 of Haryana Act 1 of 2012.

2. In clause (iii) of section 2 of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (hereinafter called the principal Act), for the words "three hundred", the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 30 of Haryana Act 1 of 2012.

3. For sub-section (1) of section 30 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) A society consisting of more than five hundred members, unless it is divided into two or more Societies or opts to re-determine and revise its membership in accordance with clause (ii) of sub-section (1) of section 32 and sub-section (2) of section 51, shall constitute a Collegium consisting of not less than twenty-one and not more than three hundred members in accordance with its Bye-laws. The status of a Collegium in this case shall be the same in all respects as that of the General Body of a Society comprising of not more than five hundred members.".

Amendment of Section 32 of Haryana Act 1 of 2012.

4. In section 32 of the principal Act,-

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) Where a Society, registered prior to the coming into force of the Act, consists of more than five hundred members, it shall convene a meeting of its members to consider and resolve through a special resolution at least six months before the due date for election of Governing Body,-

(i) to continue with the present number of members; or

(ii) re-determine the number of members of the General Body by prescription of a revised criteria, including membership fee and annual subscription or special additional charges:

Provided that in case the number of members opting for any such revised criterion exceeds five hundred, the membership may be decided by draw of lots:

Provided further that if on redetermination of the membership, the number of members is restricted to five hundred or less, the same shall constitute General Body of the Society.";

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Where the membership of a Society under clause (i) or (ii) of sub-section (1) exceeds five hundred, the Governing Body shall prepare a scheme of determination of the electoral colleges in accordance with the principles, as may be prescribed for holding elections to the collegiums and place the same for reconsideration of its members as a special resolution with consequential amendment to its Bye-laws.".

Repeal and savings.

5. (1) The Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No. 4 of 2015), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Scheme of formation of Collegium was incorporated under the Haryana Registration & Regulation of Societies Act, 2012. The two-tier system was introduced with an objective to overcome the issue related to canvassing among huge number of members for contesting the elections of the Governing Body of the Society and difficulty being faced on account of quorum in the meeting of General Body in case of large Societies. The status of a Collegium in such a case is same as that of General Body of a Society comprising of not more than three hundred members.

According to Section 2(iii) of the Haryana Registration & Regulation of Societies Act, 2012, the "Collegium" means an intermediate body consisting of elected representative of members of a society and required to be constituted in cases where the number of members exceeds three hundred. Further, the enabling provisions had been made under section 30(1), 32(1) and (3) for the societies having more than three hundred members.

A Society consisting of members in the General Body exceeding 300 members is required to conduct the elections of Collegium at the first stage and the Collegium members further elects the office bearers of the Governing Body. The Societies have represented to increase the minimum criteria of members required for constitution of the Collegium. If the criteria for formation of scheme of electoral colleges is increased from 300 members to more than 500 members, the existing as well as new small size of societies shall be able to conduct direct election of the Governing Body without constitution of collegium, which would be a relief to such Societies. It has been proposed that the minimum requirement of 300 members for constitution of Collegium be increased to 500 members in public interest. Sections 2(iii), 30(1), 32(1) and 32(3) of the Haryana Registration & Regulation of Societies Act, 2012 are proposed to be amended.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Industries & Commerce Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 1st September, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 10–एच.एल.ए.

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2015

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (iii) में, ''तीन सौ'', शब्दों के स्थान पर, ''पांच सौ'', शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 30 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) पांच सौ से अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी, जब तक यह धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) तथा धारा 51 की उपधारा (2) के अनुसार दो या इससे अधिक सोसाइटियों में विभाजित नहीं की गई है या इसकी सदस्यता का पुनः अवधारण तथा पुनरीक्षित करने का विकल्प नहीं देती है, इसकी उप–विधियों के अनुसार कम से कम इक्कीस तथा अधिक से अधिक तीन सौ सदस्यों से मिलकर बनने वाले कॉलिजियम का गठन करेगी। इस मामले में कॉलिजियम की स्थिति हर प्रकार से उसी रूप में होगी जो पांच सौ से अनधिक सदस्यों को मिलाकर बनने वाली किसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का रूप है।''।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 32 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 32 में,–

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) जहां अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच सौ से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, वहां यह निम्नलिखित के संबंध में शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए नियत तिथि से कम से कम छह मास पूर्व विशेष संकल्प के माध्यम से विचार करने तथा निर्णय करने के लिए अपने सदस्यों की बैठक बुलाएगी,–

(i) सदस्यों की वर्तमान संख्या को बनाए रखने ; या

(ii) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान या विशेष अतिरिक्त प्रभारों सहित पुनरीक्षित मापदण्ड के भोगाधिकार द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या पुनः अवधारित करने :

परन्तु यदि किसी ऐसे पुनरीक्षित मापदण्ड के लिए विकल्प देने वाले सदस्यों की संख्या पांच सौ से अधिक है, तो सदस्यता ड्रा ऑफ लाट्स द्वारा विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि सदस्यता के पुनः अवधारण पर, सदस्यों की संख्या पांच सौ या इससे कम तक सीमित है, तो वह सोसाइटी का सामान्य निकाय गठित करेगी।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा (ii) के अधीन सोसाइटी की सदस्यता पांच सौ से अधिक है, वहां शासकीय निकाय कॉलिजियम के निर्वाचन को करवाने के लिए नियम, जो विहित किए जाएं, के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगा तथा उसे इसकी उपविधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के पुनर्विचार के लिए रखेगा।''।

निरसन तथा व्यावृत्तियां।

5. (1) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन विधेयक, 2012 में कॉलिजियम बनाने की स्कीम सम्मिलित की गई थी। यह व्यवस्था इस उद्देश्य के साथ लागू की गई थी कि ऐसी सोसाइटीज जिनके सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है में शासकीय निकाय के चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सदस्यों में प्रचार करना तथा आम सभा की बैठक हेतू कौरम पूरा करने के लिए जो कठिनाइयां आती हैं, उनका समाधान किया जा सके। इस मामले में कॉलिजियम की स्थिति हर प्रकार से उसी रूप में होगी जो तीन सौ से अन्धिक सदस्यों को मिलाकर बनने वाली किसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का रूप है।

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन विधेयक, 2012 की धारा 2 (iii) के अनुसार कॉलिजियम से अभिप्राय है, किसी सोसायटी के सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाला मध्यवर्ती निकाय तथा ऐसे मामलों में गठित किए जाने के लिए अपेक्षित है जहां सदस्यों की संख्या तीन सौ से अधिक है। आगे भी, विधेयक की धारा 30(1), 32(1) एवं (3) के अन्तर्गत ऐसी सोसायटीज जिनके सदस्यों की संख्या 300 से अधिक है में सक्षम प्रावधान किया गया है ।

सोसायटी जिसकी सामान्य निकाय के सदस्यों की सख्या 300 से अधिक है को प्रथम चरण में कॉलिजियम के लिए चुनाव करवाने की आवश्यकता होती है और यह कॉलिजियम सदस्य शासकीय निकाय पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। सोसायटीज द्वारा कॉलिजियम के गठन के लिए न्यूनतम निर्धारित मानदंड सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है यदि कॉलिजियम के बनाने की योजना सदस्यों की संख्या को 300 से अधिक से बढ़ाकर 500 से अधिक कर दिया जाता है तो नई व मौजूदा सोसायटियों के द्वारा कॉलिजियम के गठन के बिना शासकीय निकाय का चुनाव करवाना सम्भव हो सकेगा जो कि इन सोसायटीज के लिए राहत होगी । अतः कॉलिजियम के गठन के लिए कम से कम 300 सदस्य की जगह 500 सदस्य करने का प्रस्ताव किया जाता है । इसके लिए हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन विधेयक, 2012 की धारा 2(iii), 30(1), 32(1) एवं 32(3) का संशोधन प्रस्तावित है ।

कैप्टन अभिमन्यु,
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 1 सितम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53659—H.V.S.—H.G.P., Chd.